

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

रामनिवास यादव (भा0प्र0से0),
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।
राँची, दिनांक 29/06/2024

विषय:-

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अवयव-5 अंतर्गत गिरिडीह जिला में मॉडल डिग्री कॉलेज, डुमरी, गिरिडीह की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 5,80,60,141/- (पाँच करोड़ अस्सी लाख साठ हजार एक सौ एकतालीस रुपये) मात्र के निकासी हेतु स्वीकृत राशि में से अतिरिक्त राज्यांश की राशि रू0 2,20,60,141/- (दो करोड़ बीस लाख साठ हजार एक सौ एकतालीस रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :-

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 1351/नि0 दिनांक 20.06.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 125/बजट दिनांक 24.07.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अवयव-5 अंतर्गत गिरिडीह जिला में मॉडल डिग्री कॉलेज, डुमरी, गिरिडीह की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 5,80,60,141/- (पाँच करोड़ अस्सी लाख साठ हजार एक सौ एकतालीस रुपये) मात्र के निकासी हेतु स्वीकृत राशि में से अतिरिक्त राज्यांश की राशि रू0 2,20,60,141/- (दो करोड़ बीस लाख साठ हजार एक सौ एकतालीस रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन निम्नवत् प्रदान की जाती है-

क्र0	DDO एवं कोड	अतिरिक्त राज्यांश मद में सवीकृत राशि	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DRNSCT001)	2,20,60,141=00	21X22020310279010678	1,70,96,609=00
			21X22020378979010678	33,09,021=00
			21X22020379679010678	16,54,511=00
	कुल योग -	2,20,60,141=00		2,20,60,141=00

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2024-25 की केन्द्र प्रायोजित स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष -

(क) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21X220203102790678)

(ख) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21X220203789790678) एवं

(ग) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21X220203796790678) मद में किये गये बजट उपबंध से की जायेगी।

3. स्वीकृत राशि की निकासी SNA SPARSH प्रणाली के अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (DRNSCT001) होंगे, जो संबंधित State Link Scheme के Drawing account से राशि की निकासी करेंगे।

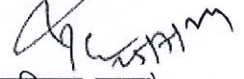
4. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

5. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 125/बजट दिनांक 24.07.2024 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

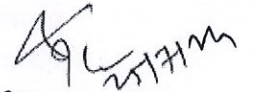


(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-1/यो.1-25/2016(उ0शि0) (अंश).....^{128/9445}/रॉची, दिनांक- ^{29/07/}2024

प्रतिलिपि -महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

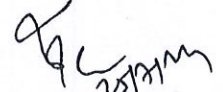


(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-1/यो.1-25/2016(उ0शि0) (अंश).....^{128/9445}/रॉची, दिनांक- ^{29/07/}2024

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय, रुसा/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।





आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चाहू द्वितीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 1/YO1-25/2016P/128/BUDGET

दिनांक - 29-Jul-2024

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	X 21 22020310279010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अन्दान	46338	DRNSCT001 MANAUWAR ALAM U/S HIGHER & TECHNICAL EDU DEP 78 - पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अन्दान	17,096,609.00 रुपये एक करोड़ सत्तर लाख छयानवे हजार 88: सी नौ

State Scheme : RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935)
Central Scheme : RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)

2	X 21 22020378979010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अन्दान	46340	DRNSCT001 MANAUWAR ALAM U/S HIGHER & TECHNICAL EDU DEP 78 - पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अन्दान	3,309,021.00 रुपये तैतीस लाख नौ हजार द्वय्जीस
---	---	-------	--	---

State Scheme : RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935)
Central Scheme : RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)

3	X 21 22020379679010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अन्दान	46337	DRNSCT001 MANAUWAR ALAM U/S HIGHER & TECHNICAL EDU DEP 78 - पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अन्दान	1,654,511.00 रुपये सोलह लाख चौपन हजार पेँच सी ग्यारह
---	---	-------	--	--

State Scheme : RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935)
Central Scheme : RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)

योग: 22,060,141.00
क्रमिक योग: रुपये दो करोड़ बीस लाख साहठ हजार एक सी द्वाय्द्वालीस

(RAMNIWAS YADAV)
DIRECTOR

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय
सलाहकार से
परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0-हिन्, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 08/08/2024

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राँची विश्वविद्यालय, राँची के विभिन्न विभागों यथा- जुंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भशास्त्र एवं भौतिकी विज्ञान के प्रयोशालाओं हेतु उपस्करों (Lab. equipments) का कय के निमित्त रु0 5,26,12,000/- (पाँच करोड़ छब्बीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:-

राँची विश्वविद्यालय, राँची का पत्रांक PL/1115/24 दिनांक 19.07.2024

आदेश-

स्वीकृत।

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को पुस्तकालय एवं आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य स्कीम बजट से विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में राशि स्वीकृत की जाती है। इसी क्रम में राँची विश्वविद्यालय, राँची का पत्रांक PL/1115/24 दिनांक 19.07.2024 के द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के विभिन्न विभागों यथा- जुंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भशास्त्र एवं भौतिकी विज्ञान के प्रयोशालाओं हेतु उपस्करों (Lab. equipments) का कय हेतु उपरोक्त प्रस्ताव को दिनांक 20.06.2024 को आहूत विश्वविद्यालय के Purchase Committee एवं दिनांक 29.06.2024 को विश्वविद्यालय के Finance Committee से पारित किया गया है।

तत्पश्चात् राँची विश्वविद्यालय, राँची के विभिन्न विभागों यथा- जुंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भशास्त्र एवं भौतिकी विज्ञान के प्रयोशालाओं हेतु उपस्करों (Lab. equipments) का कय के निमित्त प्राप्त अध्यायना को दिनांक 08.07.2024 को राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलपति की अध्यक्षता में आहूत बैठक में पारित कराते हुये प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष-BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष -102-विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) मात्र एवं लघुशीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 140.00 करोड़ (एक सौ चालीस करोड़ रुपये) मात्र अर्थात् कुल रु0 340.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

3. वित्तीय वर्ष 2024-25 में राँची विश्वविद्यालय, राँची के विभिन्न विभागों यथा- जुंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भशास्त्र एवं भौतिकी विज्ञान के प्रयोशालाओं हेतु उपस्करों (Lab. equipments) का कय के निमित्त रु0 5,26,12,000/- (पाँच करोड़ छब्बीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष-"मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष- BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, 01- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड- 21S220203796BP010678) (स्कीम कोड-2104) के अंतर्गत होगा।

5. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-1269 दिनांक 21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

6. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी-

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
-	शून्य	शून्य

7. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

9. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

10. राशि की विमुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जायेगी-

(क) सामग्री/उपस्करों का क्रय खुली निविदा/ई-टेंडर/GeM के माध्यम से किया जायेगा। GeM के संबंध में योजना एवं वित्त विभाग के संकल्प 2504/वि0 दिनांक-24.07.2017 पत्रांक 1058/वि0 दिनांक 05.08.2018, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-No-F.1/26/2018-PPD दिनांक 02.04.2019 एवं वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन संकल्प/परिपत्र के आलोक में किया जायेगा।

(ख) विमुक्त राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

(ग) झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(घ) सामग्रियों के क्रय एवं अधिष्ठापन में मितव्ययिता बरती जायेगी।

11. उक्त योजना का अनुश्रवण कुलपति, राँची विश्वविद्यालय, राँची के द्वारा किया जायेगा तथा प्रतिवेदन उच्च शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही समय-समय पर निदेशक, उच्च शिक्षा के द्वारा भी गहन समीक्षा करते हुए अनुश्रवण किया जायेगा।

12. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

13. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

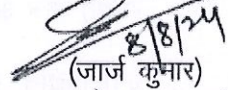
14. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

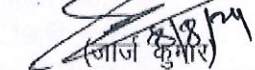
विश्वासभाजन


(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो01-17/2024 (उ0शि0) 141/904 /राँची, दिनांक- 08/08/2024

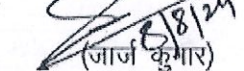
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो01-17/2024 (उ0शि0) 141/904 /राँची, दिनांक- 08/08/2024

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

